उत् तर प्रदेश शासन

स् टाम् प व्ो रिजस् रेशन, अनुभाग-2

सींख् या-23/2016/807/94/स् टा०नन०-2-2016-700(53)15

लखनऊ, ददनींक 11 अगस् त, 2016

अधिसूचना

भारतहय स् टाम् प अिनननयम, 1899 (अिनननयम सींख् या-2 सन् 1899) कआ नारा-10, 74

व्ो 75 तथा रिजस् रीकरि अिनननयम, 1908 (अिनननयम सींख् या-16, सन् 1908) कआ नारा-

78 के अनहन शिक्त का प्रयोग करके राज् यपाल, ई-भुगतान के माध् यम से स् टाम् प शु क व्ो

रिजस् रेशन शु क के भुगतान कआ सुिवना सामा य-जन को प्रदान करने कआ दृिटट से ननम् नलिलणखत

ननयमाली बनाते है:-

उत्तर ्रदे श -भुगतानकशमाध्यमसश् ाम्प ु् कवं र िस्रश नकीसकीभुगतान

ननयमांली-2016

शहर्षक, प्रसार 1.(1) यह ननयमाली उत् तर प्रदेश ई-भुगतान के माध् यम से स् टाम् प शु क और प्रारम् भ और रिजस् रेशन कआस का भुगतान ननयमाली, 2016 कही जायेगह।

(2) इसका प्रसार सम् पूिष उत् तर प्रदेश म होगा।

(3) यह गजट म प्रकाशन के ददनींक से प्र्त् त होगह।

पररभार्ाय

2.(1) जब तब सींदभष म अ् यथा अपेक्षर त न हो, इस ननयमाली म :-

(क)'' -भुगतानर सी' का तात् पयष ससह रसहद से है, जो पक्षर कार द्ारा उत् तर प्रदेश राजकोर् म , ई-भुगतान पद्नत के माध् यम से, स् टाम् प शु क, या रिजस् रेशन कआस, या अ् य प्रभार का भुगतान कर ददये जाने के उपरा त सृिजत हो, िजसम वक पिलिशट ट रसहद सींख् या भह अींककत हो;

(ख)''अेाकताा'' का तात् पयष ससे यिक्त से है, जो ककसह लिलखत के लिलव, िजसम ह पक्षर कार हो, स् टाम् प शु क या रिजस् रेशन कआस या अ् य प्रभार का भुगतान ई-भुगतान पद्नत के माध् यम से करता है;

(ग)'' -भुगतान पद्िनत'' का तात् पयष स् टाम् प व्ो रिजस् रेशन पिभाग द्ारा उपयोग कआ गयह, स् टाम् प शु क, रिजस् रेशन कआस व्ो अ् य प्रभार कआ ई-भुगतान के माध् यम से प्राितत व्ो लेखींकन कआ ननलाइन पद्नत से है;

1- यह शासनादेशइलेक्ट्राननकली जारी ककया गया है, अत: इस पर हस् ताक्षर र कआ श यकता नहीीं है ।2-इस शासनादेश कआ प्रमाणिकता ेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत् यापितपत कआ जा सकतह है ।

(घ)''र सीेपहचानस ख्या'' का तात् पयष ई-भुगतान पद्नत के माध् यम से सृिजत ई-भुगतान रसहद म अींककत पिलिशट ट रसहद सींख् या से है;

(ड.)''उपर िस्रार '' का तात् पयष रिजस् रीकरि अिनननयम, 1908 कआ नारा-6 के अींतगषत ननयुक्त त उप रिजस् रार से है;

(च)''कोषागार '' का तात् पयष उत् तर प्रदेश राज् य म ककसह कोर्ागार से है और इसम उपकोर्ागार सिम्मलिलत है;

(छ) ''उत्तर ्रदेश र ासकोष'' का तात् पयष राजकआय कोर्ागार द्ारा, राजकआय कोर्ागार म ई-भुगतान कआ ननलाइन प्राितत व्ीं लेखींकन हेतु उपयोग कआ जा रही पद्रनत से है;

(2) इस ननयमा्ली म उपयोग ककये गये, अपररभापितर्त शब् द व्ीं अलिभ-यिक्त्तय के ्ही अथष ह गे, जैसा उत् तर प्रदेश म प्रयोज् य भारतहय स् टाम् प अिनननयम, 1899 और रिजस् रीकरि अिनननयम, 1908 म उनके लिलव समनुदेलिशत ककये गये है।

स् टाम् प

शु क, 3.् ाम्प ुु् **क, र िस्रश न कीसं अ यूदभार ों कश -भुगतान की्ृदरिजस् रेशन कआस क्रियाननम्नंत होगी -** या अ् य प्रभार

(क) कोई ् यिक्त्त, जो रिजस् रीकरि अिनननयम, 1908 के प्रा्नान के के ई-भुगतान कआ अींतगषत अपने दस् ता्ेज का रिजस् रीकरि अथ्ा रिजस् रेशन पित्भाग कआ प्रकिया सेा्ओीं का उपयोग ई-भुगतान के माध् यम से करना चाहता है, ्ह ससा भुगतान पित्भागहय ्ेबसाइट के माध् यम से सहने राजकोर् कआ ्ेबसाइट पर ससे प्रारूप म जैसा पित्दहत ककया जाव, कर सकता है। अपे्क्षर त शु क या कआस का भुगतान और राजकआय कोर्ागार म ननरालिश जमा हो जाने कआ पुिटट के उपरा् त ई-भुगतान पद्रनत के माध् यम से, ई-भुगतान रसहद का सृजन होगा।

(ख)े् तांशसकाउपर िस्रार कशसमप्रद् तुतीकर -ई-भुगतान रसहद, रिजस् री कराये जाने ्ाले दस् ता्ेज के साथ सींबींिनत उप रिजस् रार के कायाषलय म प्रस् तुत कआ जा सकतह है।

(ग) -भुगतानर सींेकशसत्यापनकशस ध िमउउपर िस्रार काकता य- दस् ता्ेज रिजस् रीकरि हेतु प्रस् तुत होने पर उप रिजस् रार ई-भुगतान पद्रनत के माध् यम से ई-भुगतान रसहद के पित्् रि व्ीं उसकआ प्रामाणिकता का सत् यापन करेगा तथा उस पित्लेख के रिजस् रीकरि के पूष ्ह ई-भुगतान रसहद को ई-भुगतान पद्रनत के माध् यम से लकक करेगा, िजससे कक ई-भुगतान रसहद का ककसह अ् य दस् ता्ेज हेतु उपयोग न ककया जा सके।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानकली जारी ककया गया है, अत: इस पर हस् ताक्षर र कआ श् यकता नहीं है ।2-इस शासनादेश कआ प्रमाणिकता ्ेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत् यापितपत कआ जा सकतह है ।

(घ) -भुगतानृदमा पत्रकासृसन-उप रिजस् रार द्ारा ई-भुगतान रसहद को लकक ककये जाने के उपरा् त ई-भुगतान पद्रनत के माध् यम से वक प्रमाि पत्र सृिजत ककया जा सकेगा। उप रिजस् रार उक्त् त प्रमाि पत्र को अलग कागज पर, दो प्रनतय म मुदित करेगा और इन पर दस् ता्ेज के पक्षर कार के हस् ताक्षर र प्रात त करेगा। उप रिजस् रार भह उक्त् त प्रनतय पर हस् ताक्षर र करेगा और दस् ता्ेज के रिजस् रीकरि के उपरा् त, इनम से वक प्रनत मूल दस् ता्ेज के साथ सींल न करते हुव पक्षर कार को ्ापस करेगा तथा दूसरी प्रनत उप रिजस् रार कायाषलय म रखे जाने ्ाले दस् ता्ेज कआ प्रनत के साथ सींल न करेगा।

ई-भुगतान के 4. **(क)** अदाकताष, ई-भुगतान पद्रनत के माध् यम से, पित्दहत प्रारूप म , माध् यम से इस ननयमा्ली के प्रा्नान के अींतगषत ककये गये ई-भुगतान कआ ननरालिश भुगतान कआ गयह

कआ ◌्◌ापसह के लिलव श्◌ेदन कर सकता है। ननरालिश कआ ◌् **(ख)** ससा श्◌ेदन सींबींि◌नत उप रिजस् रार के कायाषलय म अ◌ारिसाररत ◌ापसह ककया जायेगा। उप रिजस् रार श्◌ेदक द्◌् ◌ारा ककये गये ई-भुगतान के पित्◌् रि का सत् यापन करने के प चात इसे जनपद के सहायक शयुक्ट् त स् टाम् प को अ◌ारिसाररत करेगा। सहायक शयुक्ट् त स् टाम् प, भारतहय स् टाम् प अिनननयम, 1899 के प्रा्नान के अींतगषत, ससे श्◌ेदन पत्र के ननस् तारि कआ कायष्◌ाही सम् प्न करेगा।

(अननल कुमार)

प्रमुख सिच्।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्राननकली जारी ककया गया है, अत: इस पर हस् ताक्षर र कआ श यकता नहीीं है ।2-इस शासनादेश कआ प्रमाणिकता ◌्◌ेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत् यापितपत कआ जा सकतह है ।

स ख्या-23/2016/807/94/◌् ◌ा०-नन०-2-2016-700(53)/15, देना क11अग्त, 2016 प्रनतलिलपितप दह् दी तथा अीं◌ारिजह, अिनसूचना कआ प्रनत सदहत सींयुक्ट् त ननदेशक, राजकआय मुि◌ि◌ालय, सशबाग, लखनऊ को इस शशय से प्रेपितर्त कक ◌्◌े इसे ददनीींक 11-08-2016 के असानारि गजट के भाग-4 के खण् ड (ख) म अ् य प्रकालिशत करा द और तत् प चात् गजट कआ स प्रनतयक स् टाम् प व्◌ीं◌ रिजस् रेशन अनुभाग-2 को उपलब् न कराने का कट ट कर ।

(सुनह् ि◌ कुमार)

सींयुक्ट् त सिच्।

स ख्या-23/2016/807/94/◌् ◌ा०-नन०-2-2016-700(378)/14, देना क11अग्त, 2016

प्रनतलिलपितप ननम् नलिलणखत को सूचनाथष व्◌ीं◌ श यक कायष्◌ाही हेतु प्रेपितर्त:-

1. समस् त प्रमुख सिच्/ सिच्, उत् तर प्रदेश शासन।
2. प्रमुख सिच्, पित्त् त पित्भाग उत् तर प्रदेश शासन।
3. शयुक्ट् त स् टाम् प/महाननरीक्षर क, ननबींनन, उत् तर प्रदेश, इलाहाबाद/लिशपित्र कायाषलय लखनऊ को इस अनुरोन के साथ प्रेपितर्त कक कृपया अपने अनहनस् थ समस् त सींबींि◌नत को उक्ट् त अिनसूचना कआ प्रनत उपलब् न कराते हुव तदनुसार अनुपालन सुननिचत करने हेतु ननददेश ननगषत करने का कट ट कर ।
4. ननदेशक, कोर्◌ागार उत् तर प्रदेश लखनऊ।
5. समस् त मण् डलायुक्ट् त, उत् तर प्रदेश।
6. समस् त ि◌जला◌िनकारी/मुख् य कोर्◌ा◌िनकारी, उत् तर प्रदेश।
7. सूचना ननदेशक, उत् तर प्रदेश सूचना ननदेशालय, लखनऊ।
8. शासकआय हस् ता् तरक, ◌् याय पित्भाग, उत् तर प्रदेश शासन।
9. पित्ायह अनुभाग-1, उत् तर प्रदेश शासन।
10. गाडष काइल।

(सुनह् ि◌ कुमार)

सींयुक्ट् त सिच्।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्राननकली जारी ककया गया है, अत: इस पर हस् ताक्षर र कआ श यकता नहीीं है ।2-इस शासनादेश कआ प्रमाणिकता ◌्◌ेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत् यापितपत कआ जा सकतह है ।